

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 175/2018

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोजेन्ट

बजरंगलाल पुत्र हरजीराम जाति यादव

राज. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

निवासी दुगस्ताउ तहसील जायल

जिला नागौर।

उपस्थिति

1. श्री भंवरलाल चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:07.08.19

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 128/2018 सरकार बनाम बजरंगलाल में निर्णय दिनांक 29.05.18 के तहत मौजा दुगस्ताउ के खसरा नं. 1286 रकबा 0.0010 बीघा गै.मु.रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.07.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.07.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 128/18 सरकार बनाम बजरंगलाल मे पारित निर्णय दिनांक 29.05.18 की फोटोप्रति तथा ग्राम दुगस्ताउ के नक्शा ट्रेस किश्तवार की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोजेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिन्दु पर बताया गया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और न ही तारीख पेशी की जानकारी दी जाकर उसे जवाब व सबूत पेश करने का अवसर दिया बल्कि सरसरी तौर पर प्रिन्टेड प्रफॉर्मा मे निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं थी अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा कब्जा छोडने का कहने पर तहसील से पता करने व नकले प्राप्त करने से हुई, इसलिये अपीलांट की अपील को जानकारी के दिवस से अंदर मयाद सुमार की जाना न्यायोचित है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील स्थापित कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया होने के कारण अवैध है।

{2}(II)-खसरा नं. 1272 के चारो तरफ ग्राम दुगस्ताउ के निवासियों के रहवासीय मकान व बाडे बने हुये है तथा गांव व खेतो के सभी रास्तो की चौडाई 30 से 40 फुट (3 से 4 गट्टा) है व खसरा नं. 1272 मे चलने वाला कटाणी रास्ता भी मौके पर 35 से 40 फुट कदीम से आज तक चला आ रहा है। जबकि बंदोबस्त के नक्शा मे गलती से उक्त रास्ते की चौडाई कई जगह 3 से 4 गट्टा व कई जगह 2 से 3 गुणा अधिक दर्शा दी गई है। जबकि उक्त रास्ते की 35 से 40 फुट चौडाई के पश्चात शेष भूमि कदीम से रहवास व बाडो के रूप मे उपयोग मे आती रही है और यही भूमि वर्तमान मे रास्ते के रूप मे उपयोग मे हो रही है और यही भूमि वर्तमान मे रास्ते के रूप मे उपयोग मे हो रही है। इस प्रकार अपीलांट के कदीमी रहवासीय मकान व चार दीवारी की 1 बिस्वा भूमि को खसरा नं. 1272 रास्ते की भूमि मानकर अतिक्रमण की कार्यवाही करने मे तहसीलदार जायल ने कानूनी गलती व वाकियाति भूल की है। इसलिये निर्णय जैर अपील अवैध होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(III)-माननीय राजस्व मंडल ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयो मे यह अभिनिर्धारित किया है कि उसी भूमि को रास्ते की भूमि माना जावे जो रास्ते के रूप मे उपयोग मे आती है जो भूमि रास्ते के उपयोग मे नहीं आती है उक्त भूमि को रास्ते की भूमि मानकर काबिजदारान के हक मे नियमन नहीं करके बेदखली की कार्यवाही करना न्यायसंगत नहीं है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर स्थापित विधि व



अपर कलक्टर, नागौर

न्यायिक निर्णयो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआडी 1994 पेज 208 तथा आरआरडी 1995 पेज 628 नजीरे प्रस्तुत की।

{2}{(IV)}-अधीनस्थ न्यायालय ने हस्ब कानून अपीलांट पर नोटिस तामील नही करवाया न ही पटवारी हल्का से मौके की व नक्शा अनुसार नाप चोप की रिपोर्ट प्राप्त की, बल्कि पटवारी हल्का की आधारहीन सरसरी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध है।

{2}{(V)}-वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कदीमी पक्का मकान व चार दीवारी बनी हुई है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलांट बेघर हो जायेगा तथा उसे अपूर्ण्य क्षति होगी, जिसकी पूर्ति संभव नही है वादग्रस्त भूमि मौके पर गैर मु. रास्ता के उपयोग में कभी नही आने के कारण उक्त भूमि अपीलांट के हक में कदीमी कब्जे के आधार पर नियमन किये जाने के योग्य है। उक्त वाकियाति व कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध है।

{2}{(VI)}-अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर न्यायिक विवेक का अनुसरण करते हुए विचार नही किया बल्कि प्रिन्टेड निर्णय में रिक्त स्थानों को भर कर बेदखली का निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो विधि अनुसार न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नही होने के कारण अपास्त होने योग्य है।


{3}-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि आराजी भूमि पर अपीलांट का कब्जा मौजा दुगस्ताउ में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके दुगस्ताउ के खसरा नंबर 1272 रकबा 0.0010 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर